पत्रांक–को०प्र०/विविध–13/2016 7218

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक – 25-09-18

विषय :– राज्य सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिए डिजीटल जीवन प्रमाण–पत्र (Digital Life Certificate) की व्यवस्था लागू करने के संबंध में।

भारत सरकार द्वारा Digital life Certificate for Pensioners Scheme (ई–जीवन प्रमाण) लागू किया गया है। इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 6761 दिनांक 31.07.15 द्वारा बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 215 में संशोधन करते हुए राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिए भी आधार आधारित बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा "ई–जीवन प्रमाण" प्रणाली लागू की गयी है। इसके माध्यम से राज्य सरकार के पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स भी अपना जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाईन समर्पित कर सकते है। इस हेतु पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स के पास आधार नंबर उपलब्ध होना चाहिए।

2. पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स द्वारा ''बायोमेट्रिक औथेंटिकेशन'' (Biometric Authentication) तथा डिजीटल जीवन प्रमाण–पत्र के लिए निम्नांकित रूप से कार्रवाई की जानी है :–

(i) डिजीटल जीवन प्रमाण–पत्र (Digital Life Certificate) को जेनरेट (generate) करने हेतु पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स द्वारा वेबसाईट www.jeevanpramaan.gov.in से **संबंधित एप्लीकेशन एन्ड्रायड टैब/स्मार्टफोन/विन्डोज कम्प्यूटर पर डाउनलोड की जा सकेगी।** पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स, फिंगर प्रिंट स्केनर/आईरिस स्केनर (finger Print Scanner/Iris scanner) प्राप्त कर एन्ड्रायड टैब/स्मार्टफोन/विन्डोज कम्प्यूटर के यूएसबी (USB) पर प्लग–इन (Plug-in) कर स्वयं का आधार नंबर, बैंक खाता नंबर तथा मोबाईल दूरभाष नंबर दर्ज कर स्वयं को पंजीकृत कर रियल टाईम (Real time) में ''बायोमेट्रिक औथेंटिकेशन'' स्वयं कर सकेंगे।

(ii) पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स वेबसाईट पर जाकर लोकेट सेन्टर (Locate Center) के माध्यम से अपने निकटतम CSC (Common service Centre) या बैंक शाखा जहाँ स्कैनर की सुविधा उपलब्ध हो, से भी ''बायोमेट्रिक औथेंटिकेशन'' कर सकेंगे।

3. डिजीटल जीवन प्रमाण–पत्र (digital Life certificate) जेनरेट करने की कार्यवाही सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को उनके द्वारा प्रदत्त मोबाईल दूरभाष नंबर पर sms द्वारा ट्रांजेक्शन आई०डी० प्राप्त होगी। इसके आधार पर पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स कम्प्यूटर जनरेटेड डिजीटल जीवन प्रमाण–पत्र www.jeevanpramaan.gov.in वेबसाईट से प्राप्त कर सकेंगे।

4. पेंशनर्स/परिवार पेंशनर संबंधित बैंक शाखायें www.jeevanpramaan.gov.in पर लॉगिन कर पेंशनर/परिवार पेंशनर के जीवन प्रमाण–पत्र को उसके द्वारा दिए गए आधार नंबर, बैंक खाता नंबर तथा ट्रांजेक्शन आई० डी० के आधार पर प्राप्त कर सकेंगे।

5. ई–जीवन प्रमाण से संबंधित विस्तृत जानकारी भारत सरकार के उपर्युक्त पोर्टल तथा वित्त विभाग के वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है। प्रक्रिया प्रवाह अनुलग्नक "क" में देखा जा सकता है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।

अनुलग्नक–'क'

ई–जीवन प्रमाण

पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र एक बायोमेट्रिक आधार आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है। इसके अंतर्गत पेंशनभोगियों को पेंशन वितरण प्राधिकारी यथा बैंक/डाकघर/कोषागार में जीवन प्रमाणपत्र देने के लिए उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाईन संग्रहित होगा, और पेंशन वितरण एजेंसी द्वारा इसका उपयोग किया जायेगा।

सर्वप्रथम जीवन प्रमाणपत्र Software को अपने System में Install करना होगा।

- http://jeevanpramaan.gov.in पोर्टल में जाए।
- Download लिंक पर क्लिक करें।
- अपनी Vaild ई–मेल आईडी प्रदान करें और I Agree to download पर क्लिक करें।
- Jeevan Pramaan Version 3 को Install करें।

Biometric Device को अपने System में Plug-In करें। अब Jeevan Pramman icon पर क्लिक करे और Mobile no., Aadhar no. डाल कर OTP पर Click करें। अब अपना नाम और ईमेल ID टंकित कर Submit करें। ***<u>Client रजिस्ट्रेशन Successful हो जाएगा।</u>***

पुनः Jeevan Pramaan icon पर क्लिक करें और Mobile no. तथा Aadhar no. डालकर OTP पर Click करें। OTP दर्ज करने पर PPO no., Pensioner Name, Type of Pension, Sanctioning Authority, Disbursing Agency, Account no. दर्ज कराकर Submit बटन पर क्लिक करें। अब Biometric Device पर Finger डालकर Software में Capture Biometric बटन पर क्लिक करें। *<u>जीवन प्रमाणपत्र Screen पर ID के साथ प्रदर्शित होगा।</u>* जीवन प्रमाणपत्र को प्रिंट किया जा सकता है एवं पुनः प्रमागपत्र प्रिंट के लिए ID डालकर जीवन प्रमाणपत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

जीवन प्रमाणपत्र संबंधित Pension Disbursing Agency (Bank/Treasury/Post office etc) के FTP server के System में Store रहेगा। Pension Disbursing Agency के पदाधिकारी अपने लॉगिन से जीवन प्रमाणपत्र से संबंधित कार्य करेंगे।

- *नोट :– Biometric Device System में प्रदर्शित होने के लिए Driver install करना होगा जो कि जीवन प्रमाणपत्र सॉफ्टवेयर के Download लिंक पर उलब्ध है।*